फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जग्गाराम पिता जवानाराम सालवी, निवासी बासडाई लाखागुड़ा, तहसील भीम जिला राजसमन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 56/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 06.01.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी श्री जग्गाराम पिता जवानाराम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत ग्राम टोकरा के नियमानुसार खाता संख्या एवं उनसे संबंधित खसरान की जमाबन्दी संवत् 2003 से 2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द को दिनांक 22.07.2019 को आवेदन पत्र पेश किया आवेदन पत्र मे चाही गई सुचना :– जमाबंदी ग्राम टोकरा पटवार हल्का जीरण भू–अभिलेख निरिक्षक कुंआथल तहसील देवगढ़ खाता संख्या 1 से 2 का खसरा नम्बर 361,362,363 (2) खाता नम्बर 3 का खसरा नम्बर 481,482,,486,694,695 (3) खाता नम्बर 59 का खसरा नम्बर 90,57,90,493,498,491 (4) खाता नम्बर 60 का खसरा नम्बर 57,17,262,82,98,85,69 (5)खाता नं0 85 का खसरा नम्बर 82, 98,85,63,25,26,31,36,50,60,413,424,436,437,706 किता 9 (6)खाता संख्या 94 ख0नं0:–87,21,155,166,182,310,367,371,372,375,390,394,395,396,397,398,499, 400, 932, 701,19 खाता नम्बर 24, 25 संवत् 2003 से 2012 जमाबंदी नकल की प्रमाणित प्रति 1337 का रिकार्ड उपलब्ध करावें। उक्त आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(11) के तहत पत्र क्रमांक एफ 1 ( ) सू.अ. 05/2019/548–50 दिनांक 23.07.2019 द्वारा हस्तारित किया गया जो इस कार्यालय को दिनांक 29.07.2019 को प्राप्त हुआ। इस कार्यालय को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रभारी भू–अभिलेख शाखा को आवेदित नकल तैयार कर आवेदक को भेजने हेतु लिखा जाने पर प्रभारी भू–अभिलेख ने अवगत कराया कि तहसील देवगढ़ को सेटलमेन्ट संवत 2008 में हुआ हैं इससे पूर्व की जमाबंदीया तहसील भू–अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है नहीं 1337 का रिकार्ड उपलब्ध है अतः आवेदित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी को संवत् 2003 की जमाबंदी तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है कि सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/उपदे/सूचना/2019/67–68 दिनांक 26.08.2019 द्वारा भिजवायी गयी। जिसकी प्रति सूचनार्थ श्रीमान लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द की सेवा में प्रेषित की गई। अपीलार्थी की आवेदन पत्र के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ण) के तहत निवेदन हैं कि ऐसी सूचना जिसका संबंध वैयातिक सूचना से हैं जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किसी व्यक्ति की एकांतता में अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है जब तक की अपील प्राधिकारी का संमाधान नहीं हो जाता है कि जनता के बडे हित में ऐसी सूचना का दिया जाना न्यायोचित है। आवेदक जग्गाराम पिता जवानाराम लाखागुडा का निवासी हैं जिसके द्वारा ग्राम टोकरा तहसील देवगढ़ के कास्तकारों की भूमि की पूरानी नकलों हेतु बार–बार आवेदन पत्र पेश कर उनकी एकांतता में हस्तक्षेप किया जा रहा हैं। ग्राम टोकरा में जग्गाराम स्वयं या उसके पूर्वजों की कोई खातेदारी भूमि कोई दर्ज रिकार्ड नही है। बार–बार मांगना सूचना का अधिकार अधिनियम का दूरूपयोग की श्रेणी में आता है। आवेदक द्वारा आवेदित नकले इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से दी जाना संभव नहीं है। अपील अपीलार्थी खारीज फरमावें।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध नही होने से अपीलार्थी को यथा समय तहसीलदार देवगढ के द्वारा सूचित किया जा चुका हैं।

अतः उक्त स्थिति के मद्देनजर अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)